दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 25 मई, 2023

<u>ले.पे.अ. 564/2019, सि.वि.आ. 39454/2019, सि.वि.आ. 5264/2020 एवं सि.वि.आ. 5307/2020</u>

उदय जे देसाई और अन्य ..... अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री मलक भट्ट, सुश्री नेहा नागपाल और श्री सिद्धार्थ कुमार, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री रवि प्रकाश, कें.स.स्था.अधि. सह श्री फरमान अली, श्री वरुण अग्रवाल, श्री अमन रेवारिया और श्री यशार्थ शुक्ला, प्र-1/भारत संघ के अधिवक्ता।

श्री अरुण अग्रवाल, प्र-4 एवं प्र-10 के अधिवक्ता।
श्री सुदर्श मेनन, प्र-6 के अधिवक्ता।
सुश्री मान्या हसीजा, प्र-16 की अधिवक्ता

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभू बाखरू
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

न्या. विभू बाखरू*(मौखिक)*

1. अपीलार्थीगण ने **उदय जे देसाई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** शीर्षक वाली **रि.या. (सि) 8092/2019** में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दिनांक 26.07.2019 (इसके बाद 'आक्षेपित आदेश' के रूप में संदर्भित) के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की है, जिसके तहत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थीगण ने कई राहतों की मांग करते हुए उपरोक्त रिट याचिका दायर की थी, लेकिन इसे प्रार्थना खंड घ और च तक ही सीमित रखा था। प्रासंगिक प्रार्थना के खंड नीचे दिए गए हैं:

> *इसलिए इन परिस्थितियों में, अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय निम्न प्रार्थनाएं स्वीकार करें:*
>
> ** ** ** **
>
> *घ. 07.01.2019 को आयोजित कंसोर्टियम की बैठक में प्रत्यर्थी बैंकों द्वारा लिए गए निर्णय को अभिखंडित करने और अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में उत्प्रेषण रिट या कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश को पारित करें, जिससे अलग-अलग बैंकों को फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया पर निर्णय लेने की अनुमति मिल सके, और*
>
> ** ** ** **
>
> *च. रिट याचिका [सिविल] संख्या 1316/2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 6 द्वारा दायर अंतर्वर्ती आवेदन में निहित धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हरिभक्ति रिपोर्ट और उसके युक्तिका के आधार पर याचिकाकर्ता सं. 5 के घोषणापत्र को अभिखंडित और अपास्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट की प्रकृति में उत्प्रेषण की रिट या कोई अन्य रिट, दिशानिर्देश या आदेश को 05.01.2019 पारित करें।*

2. जैसा कि ऊपर से स्पष्ट है, अपीलार्थीगण ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, 07.01.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए प्रत्यर्थी बैंकों के संघ के निर्णय को चुनौती देने के लिए, अनिवार्य रूप से, अपनी याचिका को सीमित कर दिया था। अपीलार्थीगण के अनुसार, बैंकों के संघ के उक्त निर्णय का व्यापक प्रभाव है क्योंकि इसने ऋणदाता बैंकों को मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी द्वारा प्रस्तुत फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। इसने अपीलार्थी सं. 5 के खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित किया, इस प्रकार, भविष्य में बैंकों से किसी भी धन को जुटाने के लिए अपीलार्थीगण (जो प्रतिभूतिदाता/उधारकर्ता थे) की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। अपीलार्थीगण के अनुसार, आक्षेपित निर्णय कई आधारों पर ग़लत है। हालाँकि, अपीलार्थीगण ने अपनी चुनौती को बैंकों के उक्त निर्णय तक ही सीमित रखा था, केवल इस आधार पर कि यह निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

3. अपीलार्थीगण के अनुसार, प्रत्यर्थी बैंकों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपीलार्थीगण को फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करें और कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उन्हें सुनने का अवसर भी दें। प्रत्यर्थीगण की ओर से इस विवाद का दृढ़ता से विरोध किया गया। उनके अनुसार, बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुख्य परिपत्र के अनुसार कार्य किया था और उक्त परिपत्र में उनके खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने का निर्णय लेने से पहले उधारकर्ताओं को सुनने की ऐसी किसी प्रक्रिया का प्रावधान नहीं था।

4. प्रत्यर्थी बैंकों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि फॉरेंसिक लेखापरीक्षकों (मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी) द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देने के लिए अपीलार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस प्रकार, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विभिन्न लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अपीलार्थीगण की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा गया था।

5. प्रतिद्वंद्वी तर्कों के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि *"एकमात्र मुद्दा, जिस पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या प्रत्यर्थी सं. 5 के खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने से पहले नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है।*

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने 3 जुलाई, 2017 के मुख्य परिपत्र के पैराग्राफ 8.9.4 - 8.9.6 का संदर्भ दिया और कहा है कि परिपत्र के उपरोक्त पैराग्राफ में कारण बताओ नोटिस जारी करने या संबंधित संस्था की फॉरेंसिक रिपोर्ट साझा करने का प्रावधान नहीं है। तदनुसार, न्यायालय ने अपीलार्थीगण के इस रुख को खारिज कर दिया कि प्रश्नगत खाते को धोखाधड़ी वाला खाता मानने पर कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले संबंधित बैंकों द्वारा उनकी बात सुनी जानी आवश्यक थी।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थीगण के इस तर्क को भी स्वीकार किया कि फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के दौरान, अपीलार्थीगण को लेखापरीक्षकों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था, और मसौदा रिपोर्टों पर अपीलार्थीगण के साथ फॉरेंसिक लेखापरीक्षक ने चर्चा की थी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी माना कि चूंकि अपीलार्थीगण ने बिना किसी विरोध के फॉरेंसिक लेखापरीक्षक के रूप में मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी की नियुक्ति को स्वीकार कर लिया था और उक्त लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया था, इसलिए उन्हें इस आधार पर इसकी रिपोर्ट को चुनौती देने से रोक दिया गया था कि यह मनमाना और अनुमानों और अंदाजो से पूर्ण था। न्यायालय ने माना कि फॉरेंसिक लेखापरीक्षक के निष्कर्ष को चुनौती देने की अनुमति नहीं है।

9. हमने पक्षकारगण के अधिवक्ता को सुना है।

10. ***भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम राजेश अग्रवाल और अन्य: 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 342*** मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक निर्णय के मद्देनजर वर्तमान अपील में शामिल मुख्य प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है। उधारकर्ताओं को धोखेबाज घोषित करने वाले आदेश की प्रकृति पर विचार करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

> "**71.** दूसरे पक्ष को भी सुनें, इसलिए, इस बात पर जोर देता है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ सबूत एकत्र किए गए हैं, उसे : (i) उसके खिलाफ सबूत का स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए; (ii) प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और (iii) यह प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए कि प्रस्तावित कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसलिए, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उधारकर्ता की भागीदारी मात्र नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी। किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय में ऋणदाता बैंकों द्वारा तथ्यों और कानून पर उचित ध्यान लगाना शामिल है। ऋणदाता बैंकों को, व्यक्तिगत रूप से या जेएलएफ के माध्यम से, यह तय करना होता है कि क्या उधारकर्ता ने ऋण अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, और इस

तरह के निर्धारण के आधार पर ऋणदाता बैंक उचित समाधान की मांग कर सकते हैं। इसलिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाना चाहिए, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निष्कर्षों को समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए, और धोखाधड़ी पर मुख्य दिशानिर्देशों के तहत खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

11. उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संक्षेपित निष्कर्षों को निर्धारित करना भी प्रासंगिक है। ये नीचे दिए गए हैं:

"**87.** निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

i. प्राथमिकी दर्ज करने और पंजीकृत करने से पहले सुनवाई के किसी अवसर की आवश्यकता नहीं है;

ii. किसी खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से न केवल जांच एजेंसियों को अपराध की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है, बल्कि उधारकर्ताओं के खिलाफ अन्य दंडात्मक और नागरिक परिणाम भी होते हैं;

iii. धोखाधड़ियों पर मुख्य निदेशों के खंड 8.12.1 के तहत उधारकर्ताओं को संस्थागत वित्त तक पहुंच से वंचित करने के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के लिए गंभीर सिविल परिणाम होते हैं;

iv. धोखाधड़ियों पर मुख्य निर्देशों के खंड 8.12.1 के तहत इस तरह का प्रतिबंध उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा अविश्वसनीय और ऋण के अयोग्य होने के कारण ब्लैक लिस्ट में डालने के बराबर है। इस न्यायालय ने लगातार माना है कि किसी व्यक्ति को ब्लैक लिस्ट में डालने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए;

v. दूसरे पक्ष को भी सुनें के अनुप्रयोग को धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत निहित रूप से बाहर नहीं किया जा सकता है। धोखाधड़ियों पर मुख्य निर्देशों के अंतर्गत विचारित समय-सीमा तथा अपनाई गई प्रक्रिया के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, ऋणदाता बैंकों के लिए यह उचित रूप से व्यावहारिक है कि वे उधारकर्ताओं के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करें;

vi. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की मांग है कि उधारकर्ताओं को एक नोटिस दिया जाना चाहिए, उन्हें फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाना चाहिए, और धोखाधड़ी पर मुख्य निर्देशों के तहत उनके खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले बैंकों/जेएलएफ द्वारा प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, उधारकर्ता के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय एक तर्कसंगत आदेश द्वारा किया जाना चाहिए; और

vii चूंकि धोखाधड़ियों के संबंध में मुख्य दिशानिर्देश उधारकर्ताओं के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें स्पष्ट रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए दूसरे पक्ष को भी सुनें को निर्देशों के प्रावधानों में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उन्हें मनमानेपन के दोष से बचाया जा सके।

12. उपर्युक्त निर्णय के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि बैंकों के संघ द्वारा आक्षेपित निर्णय लेने से पहले अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं था, खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा, यह निष्कर्ष कि इस कारण से कोई अवसर देने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुख्य परिपत्र में ऐसी कोई प्रक्रिया शामिल नहीं है, यह **भारतीय स्टेट बैंक और**

अन्य (पूर्वोक्त) में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर भी अधारणीय है।

13. हमारा यह भी विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऐसा मानने में गलती की है कि अपीलार्थीगण को फॉरेंसिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देने से रोका जाता है क्योंकि उन्होंने मेसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी की फॉरेंसिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति में बिना किसी आपत्ति के भाग लिया था और उक्त लेखापरीक्षक के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया था।

14. केवल इसलिए कि कोई पक्ष किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही या विचार-विमर्श में भाग लेता है, यह उस पक्ष को उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय को चुनौती देने से रोकने का आधार नहीं है। हमें उस प्रस्ताव के लिए कानून में कोई आधार नहीं मिलता है जहां कार्यवाही में भाग लेने वाले पक्ष को उक्त कार्यवाही के अनुसार प्रदान की गई रिपोर्ट या निर्णय को चुनौती देने से रोका जाता है और, उक्त दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं। एक पक्ष जिसने किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में अशर्त भाग लिया है, उसे प्राधिकरण की प्रक्रिया या संविधान को चुनौती देने से रोका जा सकता है; लेकिन यह पक्ष को संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्ष को चुनौती देने से नहीं रोकेगा।

15. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थीगण को 07.01.2019 के निर्णय से पहले प्रत्यर्थी बैंकों द्वारा सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, जिसे रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई है।

16. यह भी विवादित नहीं है कि मैसर्स हरिभक्ति एंड कंपनी एलएलपी, फॉरेंसिक लेखापरीक्षक की फॉरेंसिक रिपोर्ट को अपीलार्थी के साथ साझा नहीं किया गया था, इससे पहले कि 07.01.2019 को आयोजित बैठक में इस पर विचार किया गया।

17. बेशक, अपीलार्थीगण के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट की अंतर्वस्तु, जिसके आधार पर प्रतिकूल निर्णय लिया गया, के संबंध में बैंकों के संघ को संबोधित करने का कोई अवसर नहीं था।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीगण का इस हद तक निर्णय कि वह अपीलार्थी सं. 5 (फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड) के खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में मानता है, अपास्त कर दिया जाता है।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बैंकों के संघ या किसी भी बैंक को कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने और अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देने से नहीं रोकेगा।

20. अपील को पूर्वोक्त शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है।

न्या. विभू बाखरू

न्या. अमित महाजन

25 मई 2023

"एसके"

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*